प्रकार के गम्भीर मामले में, जिसका सम्बन्ध देश की एकता से है, उन्हें इस प्रकार का हिमायती रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बार-बार दोहरा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए सरकार की सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस समय जब अकाली दल ने संविधान जलाने की नीति अपनाई है और इसी प्रकार हिंसा की अन्य हरकतें करनी आरम्भ की हैं, हमें तब तक उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे इस बात की शपथ न ले लें कि वे राष्ट्रविरोधी शक्तियों तथा अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे। हमें अकालियों के साथ वार्ता नहीं करनी चाहिए, चाहे उनकी माँगें कितनी भी सशक्त हों।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे अपने दल का प्रतिनिधित्व करना है। मैंने आपसे अनुरोध किया था। मुझे अनुमति अवश्य मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद चल रहा है। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब, प्रधान मन्त्री।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वास्तव में बोलने की बारी विपक्ष के एक सदस्य की थी। लेकिन मुझे क्योंकि राज्य सभा से सन्देश मिला है कि वहां पहुंचना है इसलिए मैंने कुछ शब्द कहने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की है।

महोदय, इस प्रस्ताव के पेश किए जाने से पूर्व आपने जो बातें कहीं और जिस ढंग से आपने हम सभी को संयत रहने के लिए अनुरोध किया उसकी मैं प्रशंसा करती हूं।

यह सच है कि पहले ही दिन इस वाद-विवाद के रखे जाने से हम लोग जो सरकार में हैं, खुशी नहीं थे और उसका कारण यह नहीं था कि हम इस वाद-विवाद से बचना चाहते थे, वास्तव में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम उससे बचना नहीं चाहते। लेकिन हमने अनुभव किया कि क्योंकि उस दिन बन्द आयोजित किया गया था और अकाली दल भी उसी दिन कुछ कार्यवाही करने वाला था इसलिए यहां कही गई किसी बात का गलत अर्थ लगाया जा सकता है और उसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

हम इसी कारण से इसे स्थगित करना चाहते थे। जहां तक तारीख का सम्बन्ध है, इसे किसने चुना ? मैंने तो निश्चित रूप से नहीं। मुझे तो इसकी सूचना आपसे मिली है और जहां तक मुझे पता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने ही इस तारीख को चुना और हमारे मन्त्री उससे सहमत हो गये। जो प्रश्न उठाये गये हैं, उन सभी का उत्तर देने का मेरा इरादा नहीं है। उनका उत्तर मेरे सहयोगी गृह मन्त्री देंगे। लेकिन क्योंकि वाद-विवाद में मेरा नाम बार-बार लिया गया है और मैं यह अवश्य स्वीकार करती हूं कि कुछ सदस्यों ने आपके परामर्श के अनुसार नहीं बोला है, अतः मैं कुछ बातों के बारे में कहना चाहती हूं। श्री वाजपेयी ने कुछ विस्तार से कहा है। उनका भाषण हमेशा ही वाक्पटुतापूर्ण होता है। वाक्पटुता से मैं थोड़ा घबराती हूं। मैं तो स्पष्ट वक्ता हूं और सीधे-सादे ढंग से बात करती हूं और मैंने देखा है कि इस प्रकार की वाक्पटुता में अन्य अर्थ प्रायः छिप जाते हैं। यदि आप उनकी वाक्पटुता के पीछे छिपे अन्य अर्थों का विवेचन करें तो·····उन्होंने अधिकांशतया जो कहा है, उस पर सत्य की

तह जमायी गई है लेकिन वह सत्य से कुछ हट कर कहा गया है। नहीं मैं इसे अर्ध सत्य नहीं कहूंगी। मैं नहीं कहती कि वह यह कहने का प्रयास···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : उसे सीमान्त सत्य कहा जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चलिये आप उसे ठीक कर दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं वही करने का प्रयास कर रही हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमें पूर्ण विवरण दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं ऐसा करने का प्रयास कर रही हूं। मैं सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहती। उदाहरण के लिए धार्मिक मांगों का उल्लेख किया गया। बाद में मैंने इन धार्मिक मांगों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है उसे अकाली नेताओं और सन्तों को बता दिया गया था। जब सन्त यहां थे तो मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि हम किन बातों से सहमत हो सकते हैं। मैं उस बात से नहीं हटी हूं लेकिन वे अपनी बात से परे हट गये हैं। प्रसारण के लिए वे कितना समय चाहते हैं, इस बारे में उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं। अन्य बहुत सी बातें भी हैं। मैं नहीं समझती कि मुझे इन सभी बातों के बारे में अत्यधिक विस्तार में जाना चाहिए। मैं दोहराती हूं कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम कहां तक सहमत हो सकते हैं और हम अन्य बातों के बारे में क्यों नहीं सहमत हो सकते। उदाहरण के लिए हम ट्राँसमीटर लगाने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते, हम 3 घण्टे के लम्बे समय तक प्रसारण का समय नहीं दे सकते। मैं समझती थी कि पहले वे 1½ घन्टे के लिए सहमत हो गये थे। बाद में अकालियों ने समय बढ़ाने के लिए कहा। अतः समझौता करने के लिए हम 1½ घण्टे तथा आधे घण्टे का समय देने के लिए सहमत हो गये अर्थात 1-1/2 घण्टा सुबह और आधा घण्टा शाम को। इस प्रकार हर स्तर पर हमने उनकी बात मानने की कोशिश की आपने पूछा कि "गुरुद्वारे में इसकी घोषणा क्यों की गई ?" मेरे विचार में मैं कोई घोषणा नहीं कर रही थी। मैं समझती हूं कि अकाली नेताओं को इस घोषणा के बारे में पहले ही बता दिया गया था। औपचारिक रूप से उसे लिखित रूप नहीं दिया गया था और मैं समझती हूं कि जब तक पूरी तरह बात मान न ली जाये, तब तक सरकारी रूप से उनकी घोषणा नहीं की जा सकती। ऐसा मानने के कई कारण थे कि बात इतना आगे नहीं बढ़ेगी। वास्तव में वे बहुत आगे बढ़ गए। गुरुद्वारे में मैंने वही कहा था जो मैं अकाली नेताओं को बता चुकी थी और जो कई सार्वजनिक सभाओं में मैं कह चुकी थी। अब भी जो मैं कह रही हूं उसमें कुछ भी नया नहीं है। कई बार सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से पहले भी ये बातें कही जा चुकी हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : यहां भी अनुरोध किया गया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि हम गुरुवाणी के प्रसारण हेतु सहमत हो गये थे तो यह कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया ? क्योंकि प्रसारण के लिए तारों को वहां नहीं लगाने दिया गया। हमने तो कई व्यक्तियों को काम के लिए लगा भी दिया था। लेकिन इसमें दूसरे सम्बन्धित पक्ष का सहयोग भी जरूरी है। अन्य मामलों में भी ऐसा ही है।

जहाँ तक तम्बाकू और मांस बेचे जाने का सम्बन्ध है, इनका केन्द्रीय सरकार से कोई सम्बन्ध

नहीं है। इसका सम्बन्ध नगर निगम के कानूनों से है। हमने अकालियों को बता दिया कि वे नगर निगम के अधिकारियों से बात करें और यदि किसी भी रूप में मामला हम तक पहुंचता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। इस मामले में भी मतभेद है कि क्या उसके लिए हरिद्वार और वाराणसी जितना क्षेत्र रखा जाए या पूरे नगर पर इसे लागू किया जाए। मैं ये उदाहरण दे रही हूं। जितना कुछ हमारे हाथ में था, हमने मान लिया है यद्यपि जहां हमने सोचा कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है अथवा इसके कुछ अन्य परिणाम हो सकते हैं, वहाँ हमने कुछ रूप भेद के साथ माँग स्वीकार की है। यदि आप एक गुरुद्वारे से तीन घंटे का प्रसारण समय देते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि अन्य गुरुद्वारों, मन्दिरों, मस्जिदों और चर्च से ऐसी माँग नहीं की जाएगी? तब आप उन्हें भी मना नहीं कर सकते। इसका अर्थ होगा कि अन्य कोई कार्यक्रम होगा ही नहीं। ये कुछ कारण हैं। कुछ विपक्षी सदस्यों के विचार भिन्न हैं। मैं दलों का नाम नहीं लेना चाहती। मेरे विचार से आप सभी को पता है कि किसने क्या कहा। कुछ लोग किन्हीं माँगों से सहमत थे। दूसरे उन मांगों से नहीं बल्कि अन्य माँगों से सहमत थे। कुछ ऐसी ही बात थी।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उसमें कांग्रेस (इ) भी शामिल है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कांग्रेस ? जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है कोई अनिश्चितता नहीं है। त्रिपक्षीय वार्ता होने से भी बहुत पहले जब मैं अकालियों से मिली थी तो मैंने यह बात उन्हें स्पष्ट कर दी थी। जो कुछ बातें कही गई हैं उनके बारे में अकालियों को त्रिपक्षीय वार्ता से पहले और उनके साथ आपकी औपचारिक बातचीत से भी पहले उन्हें बता दिया गया था; निजी तौर पर आपने हो सकता है उनसे बात की हो लेकिन उनके साथ आपकी औपचारिक वार्ता से पूर्व ये बातें उन्हें स्पष्ट रूप से बता दी गई थीं। जब हमने सोचा कि सारा मामला निपटा लिया गया है, उस समय तक केवल धार्मिक मांगें ही मेरे समक्ष रखी गई थीं, यहाँ संसद भवन के कमरा संख्या 9 में जब मैंने सोचा कि बैठक समाप्त हो गई है और अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निपटाने के लिए मैंने जब उठकर नमस्कार कहा तो वे कहने लगे, "नहीं, नहीं यह मुख्य बात नहीं है, मुख्य प्रश्न तो नदी जल और क्षेत्र सम्बन्धी है।" उस समय तक नदी जल या क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम के सम्बन्ध में हमने कहा "हमें केवल एक आपत्ति यह है कि अन्य राज्यों में भी गुरुद्वारे हैं। उनके अपने निर्वाचित बोर्ड या समितियां हैं और हम अनुभव करते हैं कि सभी सम्बन्धित लोगों से परामर्श किया जाए। सम्भवतः गृह मन्त्री जी जानते होंगे।

खेद है कि मुझे गुरुद्वारों की संख्या मालूम नहीं। शायद गृह मन्त्री जी को पता हो लेकिन यह तो बदलती रहती है। पहले यह संख्या काफी बड़ी थी। बाद में यह कम हो गई। ताजा स्थिति के अनुसार यह 10 से 30 के बीच में रहती है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल ऐतिहासिक गुरुद्वारों के बारे में ही आग्रह करेंगे और वह स्थानीय लोगों की सहमति से ही होगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा कहना था कि स्थानीय लोगों की सहमति जरूरी है। यदि वे सहमत हो जाते हैं तो कोई झगड़ा नहीं है। मैं सन्तों से केवल दो बार मिली हूं। यदि मैं गलती पर नहीं तो शायद 1981 में मिली थी। उन अवसरों पर मैंने अपने विचार उनके समक्ष रखे थे। मैं अपनी स्थिति से हटी नहीं हूं।

अब नदी जल के बारे में जो कुछ हो रहा है उससे मुझे खुशी नहीं है। यह अच्छा उदाहरण पेश

नहीं किया गया । निर्णयों से मुकुर जाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है । शाह आयोग ने कुछ निर्णय दिए थे। अन्य निर्णय भी थे । इसका प्रमाण या गारन्टी कहां है और गारन्टी कौन देगा कि यदि हम अब समझौता कर लेते हैं तो वह मान्य, अन्तिम और चिरस्थायी समझा जाएगा । मेरे दिमाग में यही प्रश्न और यही झिझक थी । तथापि जब उन्होंने जोर दिया कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं इस बात के लिए सहमत हो गई कि जल विवाद को अधिकरण को सौंपा जा सकता है ।

एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि तीन बर्ष के समय में यह मामला सुलझाया जाना चाहिए था, अध्यक्ष महोदय ने उन्हें डांट दिया था । मैं कहानी को दोहराना नहीं चाहती । लेकिन इस तथ्य को हमें याद रखना चाहिए। मामला सुलझाने का समय तो तब था जब आस-पास के राज्यों की सरकारें जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार की सहयोगी थीं । जब अकाली केन्द्रीय सरकार में थे और पंजाब में उनकी अपनी सरकार थी । स्पष्ट है कि यदि तीन वर्षों का वह समय मामला सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं था तो मेरे विचार से यह कहना अनुचित है कि यह दो वर्षों का समय बहुत अधिक है । हम बेकार नहीं बैठे रहे—हमने द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ताएं की हैं। इसी बीच हमें उन लोगों के सन्देश मिले जो मध्यस्थता कर रहे थे । कुछ सन्देशों में कहा गया कि अकाली त्रिपक्षीय के स्थान पर द्विपक्षीय वार्ता करना चाहेंगे । यहां सब प्रकार के व्यक्ति थे जो आते-जाते रहते थे । यहाँ तक कि मैं उन लोगों से मिली जिनसे मैं सामान्यतः नहीं मिलती क्योंकि वे उग्रवादियों की ओर थे। मैं केवल इसलिए मिली कि समाधान निकालने की मेरी उत्कष्ट इच्छा थी । ताकि समझौते के और निकट आया जा सके । लेकिन स्थिति में लगातार इधर या उधर परिवर्तन होता रहा । किसी ने पूछा है कि क्या दबाव डाले गये ? कौन समझौता नहीं चाहता था ? स्पष्ट है कि वही लोग जो अत्यधिक उग्रवादी हैं । उग्रवादी तो सदैव ही रहे हैं । हो सकता है कि ये वही उग्रवादी न हों जो लोगों को गोलियों से भून रहे हैं । उग्रवादी तो उनके बीच में ही थे । लेकिन जब उग्रवादियों ने जोर दिखाना शुरू किया तो मध्यमार्गियों के लिए चाहने पर भी समझौता करना सम्भव नहीं है । अकालियों से बातचीत करने के बाद मेरा अनुमान यह है कि यद्यपि उनमें से कुछ समझौते के पक्ष में हैं तथापि उन पर दबाव पड़ सकता है । हमारे पर तो कोई दबाव तो नहीं है । हमें पता है कि हम कहाँ तक उनकी बात मान सकते हैं । जहाँ तक कुछ अन्य मामलों की बात है, उनका सम्बन्ध अन्य राज्यों से भी है । हमने अकाली नेताओं को बता दिया है कि यदि हरियाणा के लोगों तथा वहाँ के विपक्षी दलों और हमारे दल के साथ मिलकर कोई हल निकाल लेते हैं तो हम उससे सहमत हो जायेंगे । लेकिन वहाँ केवल एक दल ही तो नहीं है । हमारे दल के सदस्यों ने जो कहा है उसमें से किसी ने उद्धृत किया है । यह सच है । हमारे यहाँ इतनी अधिक संकीर्णता नहीं है जितनी आपके दल में है । हम उसी प्रकार की संकीर्णता चाहते भी नहीं हैं । लेकिन मैं यह स्वीकार करती हूं कि इससे हमारे लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं । मैं नहीं कहती कि यह कोई आसान रास्ता है । लेकिन हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है और उसे ही वह व्यक्त करता है । और दुर्भाग्य से जब कोई प्रश्न एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होता है तो लोग दल के अनुसार नहीं बंट जाते बल्कि अपने राज्य के हितों के अनुसार चलते हैं । चाहे यह साम्प्रदायिक समस्या हो या भाषायी समस्या अन्य कई राज्यों में भी हमने ऐसा ही देखा है ।

मेरे विचार से किसी ने पुलिस की उपस्थिति की भी बात कही है । यह सच है कि कुछ हद तक ऐसा हुआ है । हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम तथा शायद अन्य राज्यों में भी हुआ है । हम इस बात से खुश नहीं हैं । मैं विपक्ष पर आरोप लगाने या उनसे झगड़ा करने के लिए नहीं कह रही हूं । यह जीवन की सच्चाई है जिसे हमने ध्यान में रखना है और हमें मिलकर समस्या को सुलझाना है । हमें

इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता लानी है। मुझे खेद है कि विपक्ष में सभी लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। मेरे विचार में आप को पता ही है। मैं उसमें नहीं जाना चाहती।

मैं चौधरी चरण सिंह की आभारी हूं। आज उन्होंने शब्दों की बौछार सामान्य से कम की है। उन्होंने केरल में मुस्लिम लीग की सहायता लेने के लिए हमारी सरकार की आलोचना की है। पहला गठबन्धन मार्क्सवादियों के साथ किया गया था। लेकिन जहां तक भारतीय लोकदल का उस समय इसे वही कहा जाता था, सम्बन्ध है—मेरे मुस्लिम मित्रों ने मुझे बताया है कि उन्होंने 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम मजलिस से समझौता किया था। 1977 में मुस्लिम मजलिस गठबन्धन के सदस्य के रूप में बनी रही और जनता पार्टी में उन्हें दल का ही भाग माना जाता रहा। भा० लो० द० के कोटे में जो लोग थे, उनके नाम मेरे पास हैं लेकिन मैं समझती हूं कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। 1979 में जब चौधरी साहिब ने सरकार बनाई तो उन्हें मुस्लिम लीग का सरकारी तौर पर समर्थन मिला और मुसलिम मजलिस के प्रधान को संचार मन्त्री बनाया गया था। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रही। मैं इस लिए तथ्यों को बता रही हूं क्योंकि एक अलग चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। 1980 में भी संसद के लिए निर्वाचन और बाद में उत्तर प्रदेश निर्वाचनों के समय भी उन्होंने मिल कर चुनाव लड़ा। अतः आप अपनी वाकपटुता दिखा सकते हैं। उस समय आप ऊपर से बहुत ठीक लग सकते हैं लेकिन भीतर से कुरेदने पर पता लगता है कि तथ्य कुछ और भी हैं।

यह बिल्कुल सच है कि हम दक्षिणी राज्यों पर हिन्दी नहीं लायेंगे। क्यों ऐसा नहीं कि मुझे हिन्दी से प्यार नहीं है या मैं नहीं चाहती कि देश में एक भाषा हो। लेकिन मैं चाहती हूं कि यह सारे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा त्रि-भाषा फार्मूले में दृढ़ विश्वास है। मेरा विचार है कि हिन्दी को राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा यह भी विचार है कि अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में रखना भी महत्वपूर्ण है। आज के विश्व में हम इसके बिना नहीं चल सकते लेकिन उस से हिन्दी का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए। हम इसी बात में विश्वास करते हैं और हम लगातार यही करते आ रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है? दक्षिण भारत की भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं और आपको पता ही है कि जब उत्तर में हिन्दी के लिए आन्दोलन चला तो दक्षिण में उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। मैं वहां गई और छात्रों से बात-चीत की। जब मैं वहां पहुंची तो वे कह रहे थे; "हिन्दी मुर्दाबाद"। मैंने, कहा कि हम हिन्दी 'मुर्दाबाद' क्यों कहते हैं। तमिल 'जिन्दाबाद' क्यों नहीं कहते? आपके राज्य में चाहे तमिल हो लेकिन मैं चाहती हूं कि आप हिन्दी भी सीखें। जब भी मैं दक्षिण में गई हूं, मैंने इसी पहलू पर जोर दिया है। मुझे खुशी है कि तमिल में भी अनेक व्यक्ति हिन्दी सीख रहे हैं। लेकिन वे हिन्दी नहीं सीखेंगे यदि उन्हें ये मालूम हो यह बलपूर्वक उन पर ठूंसी जा रही है। असली बात यह है। वे इसे सीखेंगे यदि वे इसे लाभदायक समझें और यदि हिन्दी में पढ़ने योग्य अच्छी पुस्तकें मिलें। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह अवश्य है कि विज्ञापन और अन्य विषयों पर हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें नहीं निकल रही हैं जो कि आज आवश्यक हैं। इन भाषाओं को बढ़ावा देने में हमें यही कठिनाई है। हम उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं लेकिन मात्र हिन्दी बढ़ाओ जैसे नारे लगाने के स्थान पर मैं चाहती हूं कि लोग समकालीन विषयों पर मूल लेखन कार्य करने और इस समय छपने वाली आधुनिक पुस्तकों के अनुवाद कार्यों में रुचि लें। यूरोप में यदि कोई पुस्तक किसी भाषा में निकलती है तो एक महीने या उससे कुछ अधिक समय में सारी यूरोपीय भाषाओं में उसका अनुवाद हो जाता है। भाषायें इसी प्रकार उन्नति करती हैं। वे किसी अन्य भाषा पर निर्भर नहीं करतीं लेकिन जहां तक विभिन्न आधुनिक विषयों का सम्बन्ध है हम इस बात पर निर्भर करते हैं।

यह सच है कि कुछ लोगों ने हमें गुरुद्वारे में प्रवेश करने का परामर्श दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहती। मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती और न ही मैं कहती हूं कि सारे विपक्ष ने ऐसा कहा है। लेकिन विपक्ष में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते रहे हैं कि हमें गुरुद्वारे में प्रवेश करना चाहिए। मैं इस बात पर पूरी तरह सभा के साथ हूं कि किसी भी स्थान को अपराधियों के लिए शरण-स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी स्थान पर शस्त्र एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोई कार्य-वाही करते समय हमें उसके परिणामों का अनुमान लगा लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे हमारा उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसीलिए हमें प्रत्येक कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। मामले में विलम्ब करने के लिए आप मुझे दोष दे रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैंने कोई विलम्ब नहीं किया है। इन वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैंने किसी के माध्यम से सम्पर्क स्थापित न किया हो ; जब मुझे सन्देश न मिले हों ; मैंने सन्देश न भेजे हों ; विपक्ष के लोगों के साथ बैठक न की हो और कोई हल ढूंढने का प्रयास न किया हो। हमने इन मामलों को और सौहार्दपूर्ण रचना-त्मक भावना से हल करने का भरसक प्रयास किया है।

17.00

मैं आज या पहले कभी भी किसी दल को दोष देने के लिए नहीं खड़ी हुई। मेरा झगड़ा किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं ; अकाली नेताओं से भी नहीं है। जब ब्रिटेन से हमारी लड़ाई चल रही थी, तो हमारी लड़ाई अंग्रेज लोगों से नहीं थी। हमारी लड़ाई साम्राज्यवाद से थी। हमने लगातार यह अन्तर बनाये रखा।

आज हमारी लड़ाई इसी प्रकार की उग्रवादिता, इसी प्रकार की अन्धी राष्ट्रीयता और इसी प्रकार के क्षेत्रवाद से है, चाहे कोई भी उसका प्रचार कर रहा हो। यदि मेरे दल में भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसे दण्डित किया जायेगा। यदि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य दल में है, तो उससे भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए।

जब मैं विपक्ष के नेता से मिली तो मैंने उन्हें उन पोस्टरों के बारे में बताया जो उनके दल ने निकाले थे और बताया कि ऐसा कार्य साम्पदायिक सद्भावना के अनुरूप नहीं है। हमें यही चिन्ता है कि इससे गड़बड़ हो जायेगी और लोग उत्तेजित हो सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से उस दिन अच्छा प्रबन्ध किया गया था, लोगों ने भी सहयोग दिया और दिन शान्तिपूर्वक बीत गया।

लेकिन मैं सभा से पूछना चाहती हूं क्या इस प्रकार के 'बन्द' आयोजित करना अच्छा कार्य है फिर चाहे यह कार्य सरकार का हो अथवा विपक्ष का। मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहती···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : या कांग्रेस दल।

प्रो० मधु दण्डवते : चाहे यह कर्नाटक में हो या दिल्ली में।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : कहीं भी हो।

यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम मिल-बैठकर विचार कर सकते हैं। 'बन्द' कराने का कार्य हमने शुरू नहीं किया। विपक्षी दल 'बन्द' करायें तो बात समझ में आती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया

कि क्या अपनी सरकार के विरुद्ध ही ऐसा 'बन्द' आयोजित कर सकती है। मेरा ख्याल है···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा एक स्पष्टीकरण है। जब पश्चिम बंगाल में आपके दल का शासन था तो क्या हुआ ? जब विधानचन्द्र राय पश्चिम बंगाल में मुख्यमन्त्री थे तो सरकार ने 'बन्द' आयोजित किया था।

श्री नारायण चौबे : तमिलनाडु में ऐसा किया जा सकता है।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मैंने पहले ही कहा था, चाहे कोई भी दल ऐसा करे। आप इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह बन्द का राष्ट्रीयकरण है।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की निन्दा करना था। मैं भी उन घटनाओं की निन्दा करती हूं। मेरे विचार से हम सभी इन घटनाओं की जोरदार भर्त्सना करते हैं। मैंने बताया है कि कैसे अपराधियों को शरण दी जाती है, शस्त्र एकत्र किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, उन्हें "हिट लिस्ट" पर रखा जाता है और बिल्कुल निर्दोष लोगों को एक-एक करके गोलियों से भून दिया जाता है। यह ठीक ही कहा गया है कि पंजाब में अधिकांश मरने वाले लोग सिख ही थे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : आपका कहना ठीक है। लेकिन उनमें से बहुत से निरंकारी तथा अन्य व्यक्ति थे। अब हाल ही में एक नवयुवक की हत्या के मामले को लें—उसे मारने का कारण केवल यही था कि उसकी दाढ़ी नहीं थी। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। समाचापत्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो मुझे बताया गया है, मुझे उतना ही पता है।

अध्यक्ष महोदय : उसका सगा भाई उसके साथ था।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : उसका सगा भाई साथ था और उसके पगड़ी और दाढ़ी दोनों थीं। हम इन घटनाओं की निन्दा करते हैं।

हरियाणा में जो कुछ हुआ, हम उसकी भी बराबर निन्दा करते हैं। यह शर्म की बात है कि कोई भीड़ आवेश में आकर ऐसा कार्य करे। मैं सहमत हूं कि यह बहाना उचित नहीं है कि यह प्रतिक्रिया स्वरूप थी। प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन अब हमें ऐसी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। यहीं पर हमें समूचे विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि वे मुझे दोष देते हैं तो महोदय, वे ऐसा करते रहें। मैंने तो 3 या 4 वर्ष की आयु से ही जब स्वतन्त्रता-संघर्ष चल रहा था, दोष और विरोध का सामना करना सीखा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस समय हम वहां उपस्थित नहीं थे।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : आप तो नहीं थे लेकिन मैं तो थी। मैंने उस समय आपके विरोध का

सामना नहीं किया लेकिन आपकी तरह कई अन्य लोग थे। तथापि मैं केवल यह कह रही थी कि मुझे इस प्रकार का सामना करने का अभ्यास है। उससे मैं विचलित नहीं होती। लेकिन मुझे इस बात से जरूर चिन्ता है कि ऐसे गम्भीर संकट के समय आप कोई समाधान ढूंढ़ने के स्थान पर दोष लगाने के लिए अधिक उत्सुक हैं। मुझे इस बात से चिन्ता हो रही है।

पहले दिन ही इस सभा ने उन व्यक्तियों के परिवारों के जिनकी जानें गई हैं, प्रति गहरी सहानुभूति और समवेदना व्यक्त की है। मेरे विचार से हमें पुनः ऐसी भावनायें व्यक्त करनी चाहिए। हमारी सहानुभूति उन सभी लोगों के साथ भी है जिन्हें किसी अन्य ढंग से कष्ठ सहना पड़ा हो, चाहे उनके धार्मिक-स्थलों को अपवित्र किया गया हो या कोई अन्य कारण रहे हों। सम्भवतया विश्व के अन्य भागों में इन बातों का विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन भारतीयों के लिए तो उनका विशेष महत्व है। अतः हम चाहे किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखते हों, हमें अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इसलिए हम उनके प्रति भी गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। आइये हम ऐसा समाज बनाने की दिशा में कार्य करने की तीव्र इच्छा व्यक्त करें, जिसमें इस प्रकार की कोई घटना न हो। महोदय, हमें इस समूची समस्या पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें राजनीति घुस गई है।

किसी ने कहा था कि व्यापक आधार होना चाहिए। चुनाव में कोई जीतता है और किसी की हार होती है। यदि हारने वाला व्यक्ति यह कहे कि वह अगले निर्वाचन तक प्रतीक्षा नहीं करेगा और उसे तुरन्त कोई सरकारी पद मिलना चाहिए तब हमारे ढंग का लोकतन्त्र नहीं चल सकता। इस बात पर विचार किया जाना जरूरी है। (**व्यवधान**) नहीं राष्ट्रपतीय प्रणाली से इस समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि संसद के लिए निर्वाचन होते रहेंगे और होने भी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम विपक्ष को कोई विभाग देने के लिए नहीं कह रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी बात नहीं कर रही।

माननीय सदस्य : बिना विभाग के शक्ति चाहते हैं।

श्रीमति प्रमिला दण्डवते : भिंडरांवाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ?

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से यह बात सभी के सामने स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि क्या स्वर्ण-मन्दिर में प्रवेश होना चाहिए और वहां प्रवेश किस प्रकार से हो, आदि कई बातें हैं। यह बातें ऐसी नहीं हैं जिन पर यहां चर्चा की जा सके।

एक माननीय सदस्य : वह दिल्ली कब आया था ?

श्रीमति इन्दिरा गांधी : पुलिस चकमा खा गई। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं सभा को विश्वास दिलाती हूं कि हमने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। मुझे पता नहीं कि वह कब और क्यों दिल्ली आया था। हमें आशा थी कि उसे बम्बई में गिरफ्तार कर लिया जायेगा। वहीं के वारन्ट जारी किए गए थे।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती लेकिन मैं यह दोहराना चाहती हूं कि हमें इस बात पर बल देना है कि सतर्कता कैसे बनाई रखी जाये। मुझे पता है कि विपक्षी सदस्य कई बार जब मैं व्यापक पहलू की बात करती हूं तो चिढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत में ही ऐसी घटनाओं की समस्या नहीं है। कुछ पहलू स्थानीय, कुछ राष्ट्रीय और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का विघटनकारी वातावरण होने से बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा हस्तक्षेप जरूर किया जाता है और भड़काने वाली कार्यवाही की जाती है। मैंने पहले ही कहा है कि केवल भारत के अन्दर ही ऐसा नहीं हो रहा। मैं अनुभव करती हूं कि ऐसे तत्व हैं जो यह नहीं चाहते कि इस उप-महाद्वीप में सहयोग हो और विभिन्न समस्याओं पर एक आवाज उठाई जा सके। अतः ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे बहुत शक्तिशाली तत्व हैं जिन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि हम शक्तिशाली हों। "हम" से अभिप्राय केवल भारत ही नहीं बल्कि इस सारे क्षेत्र से है। आप विश्वव्यापी आर्थिक नीतियों और अन्य कई प्रकार से दबाव डाले जाने में यह बात देख सकते हैं। इस मामले में भारत अकेला ही नहीं। अकेले भारत को ही कष्ट नहीं सहना पड़ता। लेकिन भारत उठकर मुकाबला कर सकता है क्योंकि वह बड़ा है। हम मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमारी परम्परायें हैं ; हम मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्वतन्त्रता संघर्ष इस प्रकार का रहा है कि स्वतन्त्रता की ज्वाला अभी भी यहां जल रही है । छोटे देशों के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। यही कारण है कि लोग हमारी ओर देखते हैं। यह हमारे लिए घमण्ड अथवा शेखी की बात नहीं है हम अन्य विकासशील देशों को अपने भागीदार मानते हैं और वे भी हमें अपने सहयोगी समझते हैं। लेकिन वे भी यह जानते हैं कि विभिन्न मामलों पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जबकि ऐसा करने पर उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ व्यापक प्रश्न हमारे सामने हैं। वाद-विवाद का स्तर नीचे लाकर मैं नहीं समझती कि हम अपने देश अथवा अपने लोगों की कोई सेवा कर सकते हैं।

एक बार मैं पुनः अनुरोध करती हूं कि हमारे बीच कितने भी मतभेद क्यों न हों—वे तो स्पष्टतया रहेंगे ही क्योंकि यदि वे न होते तो हम एक दूसरे के विपक्ष में न बैठते, आपमें से ही अनेक लोग जो आपस में इकट्ठे बैठे हैं, मतभेद रखते हैं। चाहे अभी वे उभरे हों, लेकिन हमें पता है वे मौजूद हैं और आपको भी उनका पता ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन मतभेदों के बावजूद भी हमें यह देखना चाहिए कि किन मामलों पर हम इकट्ठे हो सकते हैं और किन बातों के बारे में हम विश्व को दिखा सकते हैं कि हम एक हैं।

प्रो० दंडवते ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश संसद की बैठक और बंगला देश युद्ध के समय हमारी संसद के संबध में कुछ बातें कही हैं। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। उस समय हम वाह्य शक्ति के विरुद्ध एक थे, हो सकता है इस समय कोई अदृश्य बाह्य शक्ति कार्य कर रही हो लेकिन हम युद्ध की स्थिति में नहीं हैं। यहां तो लड़ाई-झगड़ा हमारे बीच में ही है और एक बार जब कोई लड़ाई साम्प्रदायिक रंग ले लेती है तो, हमें अपने अनुभवों से पता है कि कैसे एक छोटे से शब्द को भी गलत समझा जा सकता है जिससे आग फैल जाती है। मैंने आज ही नहीं, लेकिन तीसरी दशाब्दी में उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों को भड़कते देखा है। साइकिल पर सवार दो लड़कों की आपस में टक्कर हो जाती है। यदि दोनों हिन्दू हुए तो कुछ नहीं होगा। यदि दोनों मुस्लिम हुए तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि एक हिन्दू और दूसरा मुसलमान हुआ तो देखते ही देखते गड़बड़ हो जाती है। अन्य स्थितियों की अपेक्षा ऐसे वातावरण में बहुत सावधान रहना होता है। मुझे नहीं पता कि हम सबमें साम्प्रदायिक भावना तीव्र गति से उठती है। कई बार ऐसा लगता है कि हममें धर्म-निरपेक्षता केवल ऊपरी तौर पर ही है। जब तक हम अपने देश से इस बुराई को समूल

नष्ट नहीं कर देते तब तक हम किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते और यह संसद अपना वास्तविक कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकती। जैसा किसी ने कहा है कि यहां पर हममें से हर व्यक्ति किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया है। लकिन जब हम संसद में आ जाते हैं तो हम केवल किसी क्षेत्र में या निर्वाचन क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः हमें कार्य करते समय इसी रवैये को अपनाना चाहिए।

महोदय, मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मैं केवल कुछ मिनट बोलना चाहती थी लेकिन इस मामले पर मेरी भावनाऐं बहुत तीव्र हैं। मैं साम्प्रदायिकता पर पहले भी बोल चुकी हूं। मेरे विचार से मेरी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां इसी स्पष्टवादिता के कारण पैदा हुई हैं। काफी लम्बे समय तक प्रहार का लक्ष्य मैं रही हूं। लेकिन मैं लगातार इस विषय पर बोलती रहूंगी क्योंकि हमारे देश में यही सबसे बड़ा विघटन कारी तत्व है और यदि देश विभाजित हो जाता है तो देश शक्तिशाली नहीं होगा और यदि देश शक्तिशाली नहीं है तो स्पष्ट है कि हम अपनी स्वतन्त्रता या अन्य किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकते।

धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमन्त्री महोदय से यह आशा कर रहे थे कि वह कुछ ऐसे रचनात्मक कदमों के बारे में बतायेंगी जो वह उठाना चाहती हैं या जो इस समय समस्या को हल करने में सहायक होंगे। परन्तु महोदय, यह बड़ी ही निराशाजनक बात है कि उन्होंने झाम बातें ही कहीं और वाद-विवाद के कुछ एक मुद्दों को ही उल्लेख किया है।

19.14 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

महोदय, आज समस्या पंजाब और हरियाणा से ही संबद्ध नहीं है। कल दिल्ली में संविधान को जलाया गया और उसी दिन संयोगवश दिल्ली-बन्द भी था। मेरा विचार था कि हमारे मित्र श्री वाजपेयी जी इस बारे में सदन को बतायेंगे कि क्या उसी दिन दिल्ली बन्द का आह्वान करना उनके दल के लिए आवश्यक था। कल ही तो संविधान की प्रतियां जलाने के लिए पंजाब से दल आ रहा था। यह हमारा सौभाग्य था कि दिन शान्ति से गुजरा। परन्तु न केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की जनता की इस बारे में चिन्ता है बल्कि देशभर की जनता इस समस्या से चिंतित है। हमारे महान् नेता चौधरी चरणसिंह जी ने भाषा सम्बन्धी नीति का उल्लेख किया है। हम सभी जानते हैं कि हम एकल-भाषी राष्ट्र नहीं हैं। हमारा बहु-भाषी, बहु-धर्मी और विभिन्न संस्कृतियों वाला राष्ट्र है। परन्तु साथ ही यह एक राष्ट्र है और एक अकेला ऐसा राष्ट्र है। इसीलिए, इसी मुद्दे पर प्रधानमन्त्री महोदया सहित कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम एक भाषा को दूसरी पर भाषा थोप नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चर्चा जारी रखना चाहते हैं तो हमें शान्त हो जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, जब हमें अशान्ति का सामना करना पड़ रहा है तो हम उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं जो अमरीका में बैठकर स्वयं को सार्वभौम खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर रहा है। जब कोई बी० बी० सी० या वायस आफ अमरीका को सुनता है तो कोई भी यह समझ सकता है कि यद्यपि नाम से तो यह पूर्णतया आन्तरिक समस्या नहीं है। इस सन्दर्भ में हमारी राष्ट्रीय एकता और सार्वभौमिकता सभी इस में अन्तर्गस्त हैं। महोदय, सारे मामले में मुख्य बात है राजनीतिक पहलू